प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–276/24, धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुभाष कश्यप पुत्र चिनगुन कश्यप उर्फ लम्बू नि0 कहारन टोला पूरब गली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.10.2024 को थाना धानेपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी सुभाष कश्यप उनकी बहन को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 अंकित यादव द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 06.11.2024 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सुभाष कश्यप को गोण्डा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुभाष कश्यप पुत्र चिनगुन कश्यप उर्फ लम्बू नि0 कहारन टोला पूरब गली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–276/24, धारा 87 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित यादव।
02. हे0का0 इन्द्रासन यादव।
03. म0आ0 कल्पना वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।